संख्या- 38/933/बयालिस-2015-44(बजट)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2015**

विषय- जनपद बदायू स्टेडियम में लगा टेनिस सिन्थेटिक कोर्ट के निर्माण हेतु पी0एल0ए0 में जमा धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 12/बजट पत्रा0/2014-15, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-656/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जनपद बदायू स्टेडियम में लगे टेनिस सिन्थेटिक कोर्ट के निर्माण कार्य हेतु रू0 50.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त कार्य हेतु रू0 25.00 लाख अवमुक्त करते हुए शासनादेश संख्या-908/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा उक्त कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रू0 25.03 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्यदायी संस्था पैकफेड के पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि लगभग व्यय होने के दृष्टिगत उक्त कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पी0एल0ए0 में रखी धनराशि क्रमशः रू0 25.03 लाख (रू0 पच्चीस लाख तीन हजार मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं सम्परिक्षित लेखे अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा उक्त कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- शेष शर्ते मूल शासनादेश संख्या- 656/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 908/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार यथावत रहेगी।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 619/दस-2015, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 933(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, बदायू।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड, लखनऊ।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in